## *Dr. REETU RAJ*

*Assistant Professor*

*Department of HISTORY*

*RAJA SINGH COLLEGE SIWAN*

*(Jai Prakash University Chapra)*


# *Lecture Notes on -* "विजयनगर साम्राज्य का केन्द्रीय प्रशासन।" *( for TDC Part 2 HISTORY HONOURS)*

# विजयनगर साम्राज्य का केन्द्रीय प्रशासन।

विजयनगर साम्राज्य का शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी।राजा  शासन व्यवस्था का सर्वे -सर्वा होता था जिसे 'राय' कहा जाता था तथा इस काल में राज्य के प्राचीन 'सप्तांग सिद्धान्त' पर राज्य का गठन किया गया था।राजा राज्य में न्याय, समता, धर्मनिरपेक्षता, शांति और सुरक्षा की व्यवस्था करता था। प्रजा हित के उच्च आदर्श 'आमुक्त माल्यदम्' में वर्णित है- "अपनी प्रजा की सुरक्षा और कल्याण के उद्देश्य सदैव आगे रखो तभी देश के लोग राजा के कल्याण की कामना करें और राजा का कल्याण तभी होगा जब देश प्रगतिशील और समृद्धिशील होगा।" यह उच्च आदर्श आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के भी आधारभूत तत्व हैं।

राजा के चुनाव में राज्य के मन्त्री एवं नायक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते थे। राजा को अपने अभिषेक के समय-प्रजापालन एवं निष्ठा की शपथ ग्रहण करनी होती थी। राजा के बाद प्रशासन में 'युवराज' का पद द्वितीय स्थान पर था। युवराज राजा का बड़ा पुत्र या राजपरिवार

का कोई भी योग्य सदस्य बन सकता था। युवराज के राज्याभिषेक को 'युवराज पट्टाभिषेक' कहा जाता था, इस राज्य में संयुक्त शासन की व्यवस्था थी जैसे-हरिहर एवं बुक्का तथा विजयराय एवं देवराय ने संयुक्त रूप से शासन का संचालन किया था। युवराज के अल्पायु होने पर राजा अपने किसी मन्त्री को उसका संरक्षक अपने जीवनकाल में ही नियुक्त कर देता था। बाद में यही व्यवस्था विजयनगर के पतन के लिए सहायक सिद्ध हुई।

यद्यपि राजा एवं युवराज उस समय की व्यवस्था के अनुसार निरंकुश थे, परन्तु उन पर व्यापारिक नियमों ग्रामीण संस्थाओं, मन्त्रिपरिषद् एवं धार्मिक संस्थाओं द्वारा प्रभावशाली नियन्त्रण लगा रहता था। राज्य-परिषद् राजा को सलाह एवं उसका अभिषेक करने का कार्य किया करती थी। राजा को राज्य-परिषद् के अतिरिक्त सलाह देने के लिए अन्य पेरिषदों का भी गठन किया गया था, जिनमें प्रान्तीय गवर्नर, बडे-बड़े नायक, सामन्त एवं व्यापारिक निगमों के प्रतिनिधि सदस्य सम्मिलित होते थे।

राजा के प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देने के लिए 'मन्त्रिपरिषद्' की स्थापना की गई थी, जिसमें प्रधानमन्त्री, मन्त्री, उपमन्त्री, विभागों के अध्यक्ष एवं कुछ राज-परिवार के सदस्य होते थे। मन्त्रिपरिषद् का मुखिया 'प्रधानी' या महाप्रधानी' कहलाता था। इसकी स्थिति प्रधानमन्त्री जैसी होती थी तथा प्रशासनिक व्यवस्था में इसका स्थान 'तृतीय' था। मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों की संख्या संभवतः (20) होती थी।इसमें विद्वान, राजनीति मे निपुण, 50 से 70 वर्ष की आयु वाले स्वस्थ्य व्यक्ति ही शामिल हो सकते थे। इस दृष्टि से यह मंत्रीपरिषद वर्तमान भारतीय मंत्री परिषद के समकक्ष दिखाई पडती है।इसके अध्यक्ष को 'सभानायक' कहा जाता था। प्रधानी भी कभी-कभी मन्त्रिपरिषद् की अध्यक्षता किया करता था। राजा के लिए मन्त्रिपरिषद् की सलाह बाध्यकारी नहीं थी। केन्द्रीय प्रशासन में 'दण्डनायक' नामक एक उच्च पदाधिकारी होता था। सम्भवतः यह विभिन्न विभागों के अध्यक्ष का नाम था। दण्डनायक को न्यायाधीश, सेनापति, गवर्नर या अन्य प्रशासकीय अधिकारी का कार्यभार सौंपा जाता

था।केन्द्रीय प्रशासन के कुछ अन्य छोटे अधिकारियों को 'कार्यकर्त्ता' कहा जाता था।

विजयनगर के केन्द्रीय-प्रशासन की सुचारु रूप से चलाने के लिए एक सचिवालय की व्यवस्था होती थी, जिसमें विभागों का वर्गीकरण किया गया था।इन विभागों में रायसम (सचिव), कर्णिकम (हिसाब-किताब रखने वाले), माने या प्रधान (गृहमंत्री) होते थे।

References: Internet & Competitive books.